

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ एवं जेन्डर मुद्दे

सारांश

स्वतंत्रतापूर्व शिक्षा नीतियों में लड़कियों के लिए ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया जो कि आधुनिक राष्ट्र की भावी माताओं की भूमिका निभा पाने के लिए उपयुक्त हो। 1960 तक लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम का विमर्श चलता रहा। लड़कियों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा के दृष्टिकोण में पहला अन्तर हंसा मेहता समिति (1964) में आया जिसने लड़के व लड़कियों के अलग पाठ्यक्रम की धारणा को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। इस समिति ने इस प्रकार के अलग पाठ्यक्रम को असमान श्रम विभाजन, जो कि वर्तमान में व्याप्त है, को बढ़ावा देने वाला बताया तथा जेन्डर के अन्तर को अवैज्ञानिक मानते हुए इस प्रकार पाठ्यक्रम के अन्तर को खत्म कर दिया।

मुख्य शब्द : महिला शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, समानता की ओर रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करीकुलम, फ्रेमवर्क, सरकारी नीतियाँ तथा जेन्डर, समानता एवं सशक्तिकरण के वर्तमान दृष्टिकोण।

प्रस्तावना

महिला शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

शिक्षा आयोग (1964-66) ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छाप बनायी। इसने समानता की दिशा में कोई पहल नहीं की क्योंकि इनके विचार से "शिक्षा" भावी नागरिकों को जन्म देने वाली माँ के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार "हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवार की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों के अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों से अधिक है।"

"For full development of our human resources, the improvements of homes, and for moulding the character of children during the most impressionable years of infancy, the education of women is even greater importance than that of men."

Education Commission Report (page 135)

इस प्रकार इसने केवल शहरी, मध्यवर्ग की महिलाओं को शिक्षा पर ही अधिक ध्यान दिया क्योंकि उनकी शिक्षा को उसने राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना।

1975 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF 1975) ने 10+2+3 की अवधारणा दी, जिसके अनुसार पहले 10 वर्षों के लिए सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होगा। इसने लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा में परिवर्तनकारी कदम उठाया तथा उन्हें भी आधुनिक राज्य व देश की अवधारणा से जोड़ा।

महिलाओं का दशक एवं आगे -1970 से ही विभिन्न वैश्विक सामाजिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों ने न्याय व अधिकारों पर नये स्पष्टीकरण दिये। इसी समय महिलाओं के श्रम की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में अनुपस्थिति एवं अदृश्यता पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान दिया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा महिलाओं के स्तर पर एक समिति (Committee on the status of women in india-CSWT) की स्थापना की गई।

"समानता की ओर" रिपोर्ट 1975 (Towards Equality 1975)

इसने समाज की विभिन्न आर्थिक स्तर की महिलाओं के विभिन्न अनुभवों द्वारा उनके जीवन में व्याप्त असमानताओं पर जोर दिया। समिति ने जोर दिया कि सामाजिक वास्तविकताओं मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप औपचारिक शिक्षा ने किसी भी परिवर्तन को जन्म नहीं दिया, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा ने संघर्ष को और गहरा ही किया है। समिति ने 'महिलाओं के लिए प्रासंगिक ज्ञान' देने के विचार पर भी प्रश्न उठाया है।

श्रम शक्ति रिपोर्ट (1988)या (National Commission on self employed women and women of the Internal Sector) ये पहली समिति थी जिसने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका एवं भागीदारी को

मधु खण्डेलवाल
प्राचार्या,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
खण्डेलवाल शि0 प्र0
महाविद्यालय, राजस्थान

स्पष्ट किया। इस क्षेत्र की महिलाओं की विशिष्ट एवं विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसने शिक्षा की आवश्यकता महसूस की थी। कमीशन ने सुझाव दिया कि ग्रामीण बच्चों के पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक बनाया जाये तथा उन्हें इतिहास व विज्ञान के साथ ही प्रायोगिक विषय जैसे पशुपालन तथा पशु देखभाल जैसे विषय भी पढ़ाये जा सकते हैं। महिलाओं को केन्द्र में लाने के लिए पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

(National Policy of Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) ने नारी आन्दोलनों के आलोक में अपना विज्ञान प्रस्तुत किया जिसने शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले कारक रूप में 'स्वीकार' किया। NPE के सुझाव के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया गया। एन.सी.ई.आर.टी. ने भी पाठ्यक्रम के जरिये जेन्डर समानता लाने हेतु अध्यापक हैंड बुक्स की सीरीज जारी की।

शैक्षिक तथा विशेषकर पाठ्यक्रमीय प्रक्रियाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये थे और न ही जेन्डर एवं समानता के मुद्दों को ही देखा गया था। रा.शि. नीति की पुनरावलोकन समिति ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1986) ने जेन्डर समानता को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया था फिर भी 'स्कूल शिक्षा के सन्दर्भ तथा प्रक्रिया' वाले पूरे अध्याय में जेन्डर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वास्तव में रिव्यू कमेटी ने सुझाव दिया कि समस्त पाठ्यक्रम में जेन्डर दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा नीतियों में जेन्डर तथा स्कूली ज्ञान पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी ने पाठ्यपुस्तक रिवीजन (पुनर्लेखन) पर जोर दिया।

शिक्षा में जेन्डर मुद्दे पर नीतियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाया है सम्भवतः इसका कारण महिला आन्दोलनों एवं अध्ययनों का शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों से बाहर रहना है। महिला आन्दोलनों में भी अपना ध्यान अधिकतर जमीनी मुद्दों जैसे-स्वास्थ्य, हिंसा तथा जीवन यापन के मुद्दों पर ही केन्द्रित रखा। महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्य धारा के स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकताओं पर शायद ही ध्यान दिया हो। महिला अध्ययन भी अधिकतर महिला आंदोलनों से ही काफी हद तक जुड़े रहे तथा किसी नियोजित तरीके से ही शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े। शिक्षा में इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि इन मुद्दों से किस वर्तमान में जारी व्यवहारों एवं कार्य करने की शैली में व्यावहारिक बदलाव लाया जा सकता है।

नेशनल करीकुलन फ्रेमवर्क : 2000

(National Curriculum framework)

स्कूली शिक्षा हेतु नेशनल करीकुलन फ्रेमवर्क 2000 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण का साधन बन सके, ऐसा उद्देश्यों, मूल्यों तथा विशिष्ट सुझावों से पता नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त इसमें जेन्डर को महिला शिक्षा का समानार्थी

माना गया। जिसमें फ्रेमवर्क डॉक्यूमेन्ट में लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक एकता के लिए शिक्षा के शीर्षक के अर्न्तगत रखा गया है। डॉक्यूमेन्ट में इस सेक्शन की शुरुआत जेन्डर समानता के बारे में विस्तृत तथा अव्यावहारिक कथन से होती है तथा फिर जेन्डर आधारित भूमिकाओं पर सिमट जाती है।

जेन्डर को दूसरे सन्दर्भों से अलग करने में धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाजों की मान्यता प्राप्त होती है इस प्रकार उन रीति-रिवाजों को नजर अन्दाज कर दिया जाता है जिससे महिलाओं के श्रम को गतिशीलता एवं संसाधनों तक पहुँच को सीमित तथा नियंत्रित किया जाता है।

जैसा कि भोग (2002) ने लिखा है 'हालांकि भारतीय राज्य घरेलू हिंसा एवं सेक्स-चयन तकनीकी इत्यादि पर कानून बनाते अपनी प्रगतिशीलता का ही परिचय देते हैं। परन्तु ये परिवार नाम की संस्था पर किसी भी आलोचना के लिए दरवाजे बन्द रखते हैं। जिसके कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीय महिलायें लम्बे समय से संघर्ष कर रही हैं।'

NCF में स्पष्ट रूप से शिक्षा की समानता लाने में सहायक भूमिका को परंपरा के दायरे में स्वीकार किया गया है तथा महिलाओं को मुख्यतः प्रजनन भूमिका के नजरिया से देखा गया है।

'यदि महिलाओं को परिवर्तन लाने वाला वनना है तो शिक्षा तक समान पहुँच अनिवार्य है। इसलिए महिला की शिक्षा उन्हें परिवार के स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा की उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है।'

जनसंख्या विकास विमर्श ने भी जेन्डर समानता के विरुद्ध राजनीति को वैद्यता प्रदान की है। उच्च विकसित राष्ट्र इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि निम्न विकास का मुख्य कारण अधिक जनसंख्या का होना है। तथा जिसको विकास के लिए जरूरी शर्त के रूप में माना जाता है।

भारतवर्ष की शिक्षा को विभिन्न पाठ्यपुस्तकों विशेषकर नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं सम्बन्धित समाज विज्ञान की पुस्तकों द्वारा आकार प्रदान किया जिसमें अविकसितता को जनसंख्या अधिक होने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के जनसंख्या एवं विकास विमर्श का प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को उनकी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने एवं दो बच्चों के मानक से जोड़कर देखने में झलकता है। इस प्रकार शिक्षा नीति न केवल पारंपरिकता से संचालित होती है बल्कि समकालीन आधुनिक परिदृश्य से भी प्रभावित होती है।

इस प्रकार की प्रवृत्तियों द्वारा महिलाओं के राष्ट्र में योगदान देने में भूमिका पर बल दिया जाता है न कि उनकी वास्तविकता सशक्तिकरण में। वास्तविक सशक्तिकरण तो लड़कियों की योग्यता को बढ़ाने में तथा एक स्वायत्त नागरिक के रूप में अपने विकल्पों का प्रयोग करने तथा अधिकारों पर हक जमाने से आता है।

सरकारी नीतियों तथा जेन्डर, समानता एवं सशक्तिकरण के वर्तमान दृष्टिकोण (Government policies and existing approaches to gender, equality and empowerment)

तीन दशकों में 'जेन्डर' को भारतवर्ष में पाठ्यक्रम नीति-निर्धारण में एक वर्ग के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। नीतियों को देखने पर पता चलता है कि लड़कियों हेतु 'जेन्डर' और 'समानता' एवं 'सशक्तिकरण' जैसे शब्दों को शैक्षिक दस्तावेजों में उपयोग किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस प्रपत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों तथा जेन्डर मुद्दों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष

अब यह प्रश्न उठना महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम नीति, पाठ्यक्रम पुनर्लेखन तथा कक्षा-व्यवहार को निर्धारित करने में हमारे प्रयासों में क्या सीमाएं रही ?

जेन्डर को मुख्यतः

- केवल लड़कियों एवं महिलाओं से जोड़कर देखते हैं (एक जैविकीय वर्ग)
- एक प्रथक वर्ग, अन्य मुद्दों से असम्बन्धित (An isolated category not related to other issues)
- समान सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान के रूप में।
- समानता को एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है जिसमें निम्न प्रविधियां अपनाई जाती हैं—
- शिक्षण सामग्री में 'जेन्डर' के विचार के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।
- महिलाओं/बालिकाओं द्वारा सहे जा रहे भेदभाव को संवेदनशील चित्रण।
- सकारात्मक रोलमॉडल एवं स्टीरियोटाइप्स के उलट पात्रों का प्रस्तुतीकरण।
- जेन्डर आधारित दृष्टांतों को पक्षपात रहित करना।
- औपचारिक या एक जैसी राय जो कि समान 'व्यवहार' पर केन्द्रित करती है न कि निष्कर्षों के समान होने पर (The formal OR sameness approach that focuses on equal treatment. Rather than equality of outcome)
- Gender is not just a women's issue... it is people issue.

References

- Bhasin kamla..2000. *Understanding gender. New Delhi, Kali for women.*
- DPEP Report 2000. *Bringing girls center store : Strategies and interventions for girls Education.*
- Dube, Leela, 1988 '*on the Construction of gender : Socialisation of girls in patrilineal india.*
- Government of india. 1986, *National policy on Education new delhi; Ministry of Human Resource Development.*
- NCERT (2005): *Gender issues in Education National Curriculum Framework 2005 position papers of National focus groups and National concerns, Vol-III, PP68-151.*
- National council for Educational Research and Training. 1975. *National Curriculum framework (NCF). New Delhi : Author.*
- National Council for Educational Research and Training. 1999. *National Steering committee on textbook Education, Recommendation, and Report-II.*